[2022] 5 एस. सी. आर. 1072

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

वी.

ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर.

(2021 की सिविल अपील संख्या 689)

30 मई, 2022

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई और

ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एसएस। 3 , 5 , 6 , 7 और 14

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) -

वसूली प्रमाणपत्र जारी करना, यदि मुकदमा करने के अधिकार को बढ़ावा देता है -

तथ्यों पर, प्रत्यर्थी संख्या 2-निगमित देनदार उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण सुविधाओं के संबंध में निगमित गारंटर के रूप में खड़ा था।

निगमित देनदार जो उधारकर्ता से देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है बैंक को संस्थाएं, हालांकि भुगतान करने में विफलता-पक्षों के बीच किए गए समझौते के संदर्भ में, जारी करना

ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा वसूली प्रमाण पत्र

उधारकर्ता इकाइयाँ और निगमित देनदार-के आधार पर वसूली प्रमाणपत्र, बैंक ने यू/एस आवेदन दायर किया। 7 एन. सी. एल. टी. के समक्ष निगमित कर्जदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की मांग

आवेदन स्वीकार किया गया-हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने आवेदन को शर्त पर रखा-वर्जित और वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का कारण नहीं बना।

मुकदमा करने का अधिकार-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः एक बार जब कोई दावा अंतिम रूप ले लेता है

निर्णय और आदेश/डिक्री, निर्णय लेने पर और वसूली का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है जो लेनदार को अपने अवमूल्यन का एहसास करने के लिए अधिकृत करता है।

देय राशि, अंतिम निर्णय की राशि और/या आदेश/डिक्री और/या वसूली प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए लेनदार को एक नया अधिकार प्राप्त होता है-वसूली का प्रमाण पत्र जारी करना

वित्तीय लेनदार के पक्ष में एक नए कारण को जन्म देगा

वित्तीय लेनदार के लिए कार्रवाई, सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए, निर्णय और/या डिक्री की तारीख से तीन साल के भीतर-वसूली प्रमाण पत्र से उत्पन्न दावे के संबंध में देयता के भीतर एक "वित्तीय ऋण" होगा।

एस के खंड (8) का अर्थ। 5 और वसूली प्रमाणपत्र का धारक धाराओं के खंड (7) के अर्थ के भीतर एक "वित्तीय लेनदार" होगा। 5 – एक व्यक्ति 1072 कोटाक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की अवधि के भीतर सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार होगा।

ए. बालकृष्णन

& एएनआर।

तथ्यों के आधार पर, वसूली प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल बाद आवेदन यू/एस। 7 वसूली प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दाखिल किया गया था आवेदन यू/एस। 7 सीमा के भीतर था-इस प्रकार, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है-प्रतिभूतिकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति का प्रवर्तन

ब्याज अधिनियम, 2002 - धारा 13 (2)-कंपनी अधिनियम, 1956-एस. एस. 433 , 434 – बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम के कारण ऋणों की वसूली,

1993 – s.31A-ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993 -

एस. 19 (22 ए)।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की योजना

चर्चा की।

क़ानूनों की व्याख्याः

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-आयोजितः प्रतिमा के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाए-क़ानून के सभी प्रावधान

एक-दूसरे के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए

इसे अलग से पढ़ा जा सकता है।

व्याख्या का शाब्दिक नियम-आयोजितः जब किसी वैधानिक प्रावधान की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, तो इसकी अनुमति नहीं है।

न्यायालय के लिए किसी कानून में शब्दों को जोड़ना या घटाना या उसमें कुछ ऐसा पढ़ना जो वहां नहीं है-न्यायालय विधान को फिर से नहीं लिख सकता है या उसका पुनर्गठन नहीं कर सकता है।

निर्णय/आदेशः इनक्यूरियम के अनुसार, कब-आयोजित किया गयाः ' 'इनक्यूरिया' का शाब्दिक अर्थ है 'लापरवाही'-एक निर्णय या निर्णय प्रति इनक्यूरियम हो सकता है। किसी कानून, नियम या विनियम में कोई प्रावधान, जिसे न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था-यह इनक्यूरियम के अनुसार भी हो सकता है यदि ऐसा नहीं है

इसके अनुपात को किसी सह-समान या बड़ी पीठ के पूर्व में घोषित निर्णय के साथ मिलान करना संभव है।

शब्द और वाक्यांशः ' सम्मिलित कीजिए '-का अर्थ-आयोजितः शब्द 'शामिल' का उपयोग व्याख्या खंडों में अर्थ को बड़ा करने के लिए किया जाता है

कानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्द या वाक्यांश।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 दिवाला योजना से और

दिवालियापन संहिता, 2016, यह देखा जा सकता है कि जहां कोई कॉर्पोरेट देनदार एक डिफ़ॉल्ट, एक वित्तीय लेनदार, एक [2022] 5 एस. सी. आर. करता है।

प्रचालन लेनदार या निगमित देनदार स्वयं ऐसे निगमित देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार है जैसा कि उक्त अध्याय के तहत प्रदान किया गया है। चूक को ऋण का भुगतान न करने के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋण को किसी भी व्यक्ति से देय दावे के संबंध में देयता या दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। एक दावे का अर्थ है भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार निर्णय, निश्चित, विवादित आदि तक सीमित हो या नहीं। यह तय से अधिक है कि सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए ट्रिगर बिंदु तब होता है जब एक डिफ़ॉल्ट होता है। एक चूक तब होती है जब किसी दावे के संबंध में ऋण देय होता है और भुगतान नहीं किया जाता है। एक दावे में भुगतान का अधिकार शामिल होगा चाहे ऐसा अधिकार निर्णय तक सीमित हो या नहीं। [पैरा 38] [1095-डी-एफ]

1.2 यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि

अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाना। यह कानून का एक समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि क़ानून के सभी प्रावधानों को एक दूसरे के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और किसी भी प्रावधान को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। [पारस 39 और 41] [1095-एफ-जी; 1096-ए]

1.3 "वित्तीय लेनदार" होने का हकदार व्यक्ति के पास है

एक वित्तीय ऋण देना होगा और इसमें एक व्यक्ति भी शामिल होगा जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है। इसलिए, एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी, वह यह है कि क्या वसूली प्रमाणपत्र से उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में देयता को आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के तहत परिभाषित "वित्तीय ऋण" शब्द के अर्थ के भीतर शामिल किया जाएगा। यह ध्यान रखना उचित होगा कि आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) में, अर्थात, "वित्तीय ऋण" शब्द की परिभाषा खंड, उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ है "ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण, जो उस समय के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है।

धन का मूल्य और इसमें शामिल है "। [पैरा 43 और 44] [1096-बी-डी]

1.4 कानून की यह स्थिर स्थिति है कि जब खंडों की व्याख्या में "शामिल" शब्द का उपयोग किया जाता है, तो प्रभाव बढ़ेगा।

कानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों का अर्थ। इस तरह की व्याख्या खंड का उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि उन शब्दों या वाक्यांशों को समझने के रूप में समझा जाना चाहिए, न केवल ऐसी चीजें, जो वे अपने प्राकृतिक महत्व के अनुसार दर्शाती हैं, बल्कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v।

ए. बालकृष्णन

& एएनआर।

उन चीजों को भी जिन्हें व्याख्या खंड घोषित करता है कि

वे शामिल होंगे। ऐसी स्थिति में, प्रावधान को प्रतिबंधित अर्थ देने में कोई वारंट या औचित्य नहीं होगा। आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि "ब्याज के साथ ऋण, यदि कोई हो, जो धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के खिलाफ वितरित किया जाता है" शब्दों के बाद "और शामिल हैं" शब्द आते हैं। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों (ए) से (आई) का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट है कि "और शामिल" शब्दों का उपयोग करके, विधानमंडल ने केवल ऐसे उदाहरण दिए हैं, जिन्हें "वित्तीय ऋण" शब्द में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, यह सूची संपूर्ण नहीं बल्कि समावेशी है। विधायी इरादा यह नहीं हो सकता था कि

"वित्तीय ऋण" शब्द की परिभाषा से वसूली प्रमाणपत्र से उत्पन्न होने वाले "दावे" के संबंध में दायित्व को बाहर कर दें, जब "दावा" सरलीकरण के संबंध में ऐसा दायित्व होगा -

देय और देय हो गया है, जैसा भी मामला हो, एक "ऋण" एक दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व है जो किसी भी व्यक्ति से देय है, और एक "दावा" का अर्थ है भुगतान का अधिकार, चाहे ऐसा अधिकार निर्णय तक सीमित हो या नहीं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब तक कोई "दावा" नहीं है, जिसे किसी निर्णय तक सीमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तब तक कोई "ऋण" नहीं होगा और परिणामस्वरूप ऐसे "ऋण" का भुगतान न करने पर कोई "चूक" नहीं होगी। जब "दावा" स्वयं भुगतान का अधिकार अभिप्रेत है, चाहे ऐसा अधिकार निर्णय तक सीमित कर दिया गया हो या नहीं, यदि उत्तरदाताओं का यह तर्क कि केवल एक "दावा" डिक्री में फलीभूत होने पर, वह आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के दायरे से बाहर होगा, स्वीकार किया जाता है, तो यह आई. बी. सी. में उपयोग की जाने वाली सादे भाषा के साथ असंगत होगा। परिभाषा समावेशी है और संपूर्ण नहीं है। आई. बी. सी. के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विधायिका कभी भी किसी ऋण को, जो एक डिक्री के रूप में स्पष्ट है, खंड के दायरे से बाहर रखने का इरादा नहीं रख सकती थी।

(8) आई. बी. सी. की धारा 5। [पारस 47,51 और 52] [1097-जी-एच; 1098 ए-बी; 1100-बी-जी] 1.5 यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि वसूली प्रमाणपत्र से उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में देयता एक "वित्तीय ऋण" होगी।

[2022] 5 एस. सी. आर. की धारा 5 के खंड (8) के तहत इसकी परिभाषा की सीमा।

आई. बी. सी., इसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में, इस तरह के वसूली प्रमाण पत्र का धारक आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (7) के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार होगा। इस तरह, एक "व्यक्ति"

आई. बी. सी. की धारा 6 के तहत एक "व्यक्ति" होगा जो सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार होगा। [पैरा 53] [1100-एच; 1101 ए]

1.6 आई. बी. सी. की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में उपयोग किए गए शब्दों को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सका कि डिक्री-धारक

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. के प्रावधानों को लागू करने का हकदार नहीं है। उक्त धारा के एक सादे अध्ययन से स्पष्ट रूप से यह प्रावधान होगा कि एक बार सी. आई. आर. पी. शुरू होने के बाद, किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमे या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखने पर प्रतिबंध होगा। मुकदमे की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखने पर प्रतिबंध, जिसमें डिक्री का निष्पादन भी शामिल है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक डिक्री-धारक को सी. आई. आर. पी. शुरू करने से भी प्रतिबंधित किया गया है, यदि वह अन्यथा कानूनी रूप से हकदार है। प्रभाव यह होगा कि आवेदक, जो एक डिक्री धारक है, को स्वयं अपने पक्ष में डिक्री को निष्पादित करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। [पैरा 54] [1101 बी-डी]

1.7 यह एक स्थापित कानून है जिसका शाब्दिक अर्थ है "इनकुरिया"।

" लापरवाही "। एक निर्णय या निर्णय किसी भी स्थिति के अनुसार हो सकता है।

किसी कानून, नियम या विनियम में प्रावधान, जिसे न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। यह इनक्यूरियम के अनुसार भी हो सकता है यदि इसके अनुपात को किसी सह-समान या बड़ी पीठ के पहले घोषित निर्णय के साथ जोड़ना संभव नहीं है। देना बैंक के मामले में इस अदालत के फैसले के अवलोकन से पता चलेगा कि इस अदालत ने आई. बी. सी. के सभी प्रासंगिक प्रावधानों और इस अदालत के पहले के फैसलों पर विचार किया। देना बैंक के मामले में इस न्यायालय के फैसले में इस न्यायालय के पहले के फैसलों के साथ कोई विसंगति नहीं है, जिन पर भरोसा किया गया था। यह निवेदन कि देना बैंक के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के वैधानिक प्रावधानों और पहले के फैसलों के अनुरूप नहीं है, पूरी तरह से अस्थिर है। [पारस 67 और 68] [1105-एफ-एच; 1106-ए-बी]

1.8 वसूली प्रमाणपत्र से उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में देयता खंड कोटाक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v के अर्थ के भीतर एक "वित्तीय ऋण" होगा।

ए. बालकृष्णन

& एएनआर।

(8) आई. बी. सी. की धारा 5 और वसूली प्रमाणपत्र का धारक खंड (7) के अर्थ के भीतर एक "वित्तीय लेनदार" होगा।

आई. बी. सी. की धारा 5। एक व्यक्ति उस तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार होगा जिस दिन वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। [पैरा 69] [1106-बी-सी]

1.9 ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22) पीठासीन अधिकारी को एक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देती है - उप-धारा (20) के तहत अंतिम आदेश के साथ वसूली

ब्याज सहित ऋण का भुगतान। प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट ऋण की राशि की वसूली के उद्देश्यों के लिए दिया जाता है

प्रमाण पत्र। ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22 ए) में प्रावधान है कि ऋण वसूली अधिनियम द्वारा जारी कोई भी वसूली प्रमाण पत्र उप-धारा (22) के तहत पीठासीन अधिकारी को किसी कंपनी आदि के खिलाफ समापन कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्यों के लिए न्यायालय की डिक्री या आदेश माना जाएगा। [पैरा 71] [1106 एच; 1107-ए-बी]

1.10 यह प्रस्तुत करना कि वसूली प्रमाणपत्र समापन कार्यवाही शुरू करने के सीमित उद्देश्य के लिए है, यदि स्वीकार किए जाने पर, "सीमित" शब्द को "न्यायालय की डिक्री या आदेश माना जाएगा" और "समापन कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्यों के लिए" शब्दों के बीच डाला जाना आवश्यक होगा। यदि प्रस्तुतिकरण स्वीकार किया जाना है, तो ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22 ए) को "उप-धारा (22) के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किसी भी वसूली प्रमाण पत्र को समापन कार्यवाही शुरू करने के सीमित उद्देश्यों के लिए न्यायालय की डिक्री या आदेश माना जाएगा।" यदि उक्त निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22 ए) के प्रावधानों के साथ हिंसा होगी। जब किसी वैधानिक प्रावधान की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध होती है, तो न्यायालय को किसी क़ानून में शब्दों को जोड़ने या घटाने या पढ़ने की अनुमति नहीं होती है।

उसमें कुछ ऐसा है जो वहाँ नहीं है। यह कानून को फिर से नहीं लिख सकता या फिर से नहीं बना सकता है। [पारस 72,73 और 75] [1107-बी-डी, एच; 1108-ए]

1.11 ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22 ए) में उपयोग किए गए शब्दों की सरल और सरल व्याख्या से, यह स्पष्ट होगा कि विधानमंडल ने प्रावधान किया है कि किसी कंपनी के खिलाफ कार्यवाही को समाप्त करने के उद्देश्यों के लिए, [2022] 5 एस. सी. आर.

आदि, ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22) के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र को न्यायालय की डिक्री या आदेश माना जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक बार पुनर्प्राप्ति प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है

ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22) के तहत,

कार्यवाहियों को समाप्त करने के उद्देश्य से सीमित वसूली प्रमाणपत्र के उपयोग को प्रतिबंधित करना। प्रस्तुतिकरण प्रत्यर्थियों को, यदि स्वीकार किया जाता है, तो कुछ ऐसा प्रदान करना होगा जो ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22ए) में नहीं है। किसी भी मामले में, जब स्वयं विधानमंडल ने उप-धारा के तहत जारी कोई भी वसूली प्रमाण पत्र प्रदान किया हो।

(22) ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 को परिसमापन की शुरुआत के लिए न्यायालय का आदेश या आदेश माना जाएगा।

कार्यवाही, जो प्रकृति में बहुत गंभीर होती है, यह स्वीकार करना मुश्किल होगा कि विधानमंडल का इरादा था कि इस तरह के वसूली प्रमाण पत्र का उपयोग सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए नहीं किया जा सकता है, जो कॉर्पोरेट ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने में सक्षम बनाएगा और साथ ही, बकाया राशि का भुगतान करेगा।

अधिकतम तक लेनदार। [पारस 77 और 78] [1108-जी-एच; 1108-ए डी]

1.12 वसूली प्रमाणपत्र से उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में दायित्व खंड के अर्थ के भीतर एक "वित्तीय ऋण" होगा।

(8) आई. बी. सी. की धारा 5। नतीजतन, वसूली प्रमाणपत्र का धारक आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (7) के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार होगा। इस प्रकार, इस तरह के प्रमाण पत्र के धारक सी. आई. आर. पी. शुरू करने के हकदार होंगे, यदि शुरू किया जाता है। वसूली प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर। तथ्यों पर, आवेदन यू/एस। 7 आई. बी. सी. उस तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दाखिल किया गया था जिस दिन वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस प्रकार, धारा 7 आई. बी. सी. के तहत आवेदन सीमा के भीतर था और एन. सी. एल. ए. टी. ने यह मानते हुए गलती की कि यह सीमा द्वारा वर्जित है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। [पारस 84,85 और 86] [1111-ए-बी; सी-ई] टेक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v.

ए. बालाक्रिशन

& एएनआर।

देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) v. सी. शिवकुमार रेड्डी और एक अन्य (2021) 10 एससीसी 330-ने पुष्टि की।

परमजीत सिंह पाथेजा बनाम। आईसीडीएस लिमिटेड (2006) 13 एससीसी 322 [2006] 8 पूरक। एससीआर 178-प्रतिष्ठित।

शुभंकर भौमिक बनाम। भारत संघ और एक अन्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन ट्राई 208; जिग्नेश शाह और एक अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2019) 10 एससीसी 750: [2019] 12 एससीआर 678; गौरव हरगोविंदभाई दवे बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और एक अन्य (2019) 10 एस. सी. सी. 572 [2019] 13 एस. सी. आर. 224;

निर्मल जीत कौर बनाम। एम. पी. राज्य और एक अन्य (2004) 7 एस. सी. सी. 558 [2004] 3 पूरक। एससीआर 1006; सरकार के सचिव। केरल, सिंचाई विभाग और अन्य बनाम। जेम्स वर्गीज और अन्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 545; पी. एस. राममूर्ति शास्त्री बनाम। सेल्वर पेंट्स और वार्निश

वर्क्स (प्रा.) लि. द लॉ वीकली, वॉल्यूम। XCVII (97) दिनांक 28 जनवरी, 1984 भाग 1; मुकुल अग्रवाल बनाम। रॉयल रेसिनेक्स प्रा. लि. लिमिटेड कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) 2020 की सं. 777 दिनांक 30.03.2022; स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य (2019) 4 एस. सी. सी. 17: [2019] 3 एससीआर 535; एसोसिएटेड इंडेम मैकेनिकल (पी) लिमिटेड बनाम। डब्ल्यू. बी. लघु उद्योग विकास निगम। लिमिटेड और अन्य (2007) 3 एससीसी 607 [2007] 1 एससीआर 174; कर्नाटक पावर

पारेषण निगम और एक अन्य वी। अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (2009) 3 एस. सी. सी. 240: [2009] 1109 ; पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और

एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य (2019) 8 एस. सी. सी. 416 [2019] 10 एस. सी. आर. 381; रामेश्वर प्रसाद केजरीवाल एंड संस लिमिटेड बनाम। गारोडिया हार्डवेयर स्टोर (2001) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 586; भारत संघ और अन्य बनाम।

धनवंती देवी और अन्य (1996) 6 एससीसी 44: [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 32; क्षेत्रीय प्रबंधक और अन्य

वी. पवन कुमार दुबे (1976) 3 एससीसी 334: [1976] 3 एससीआर 540; वाशदेव आर. भोजवानी बनाम। अभ्युदय

सहकारी बैंक लिमिटेड और एक अन्य (2019) 9 एस. सी. सी. 158 : [2019] 12 एस. सी. आर. 75; बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे और अन्य बनाम। श्री ध्यानेश्वर महाराज [2022] 5 एस. सी.

संस्थान और अन्य [1959] 2 पूरक। एससीआर 476: एयर

1959 एससी 798: [1959] 2 पूरक। एससीआर 476; मोहम्मद।

शहाबुद्दीन बनाम। बिहार राज्य और अन्य (2010) 4 एससीसी 653 [2010] 3 एससीआर 911; नसीरुद्दीन और अन्य बनाम। सीता

राम अग्रवाल (2003) 2 एससीसी 577: [2003] 1 एससीआर 634;

भानु कुमार जैन बनाम। अर्चना कुमार और एक अन्य

(2005) 1 एससीसी 787: [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर 1104; राज्य

यू. पी. वी. नवाब हुसैन (1977) 2 एससीसी 806: [1977] 3 एस. सी. आर. 428; गुलाबचंद छोटालाल पारिख बनाम। की स्थिति

बॉम्बे (अब गुजरात) [1965] 2 एससीआर 547-संदर्भित को।

दिलवर्थ वी. डाक टिकट आयुक्त (1899) एसी 99;

आज वी. आज (1964) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 371-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2021) 10 एससीसी 330

पै

रा 9

पुष्टि की

[1977] 3 एससीआर 428

प्रतिष्ठित

पै

राल

[1965] 2 एससीआर 547

प्रतिष्ठित

पै

रा 11

[2019] 12 एससीआर 678

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2019] 13 एससीआर 224

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2004] 3 पूरक। एससीआर 1006

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2019] 3 एससीआर 535

पै

रा 40

संदर्भित किया गया है

[2007] 1 एससीआर 174

संदर्भित किया गया है

पै

रा 46

[2009] 1 एससीआर 1109

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[2019] 10 एससीआर 381

पै

रा 50

संदर्भित किया गया है

[1996] 5 पूरक। एससीआर 32

संदर्भित किया गया है

पै

रा 60

[1976] 3 एससीआर 540

संदर्भित किया गया है

पै

रा 61

[2019] 12 एससीआर 75

संदर्भित किया गया है

पै

रा 63

[1959] 2 पूरक। एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

पै

रा 63

[2010] 3 एससीआर 911

पै

रा 74

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 एससीआर 634

संदर्भित किया गया है

पै

रा 76

[2006] 8 पूरक। एससीआर 178

प्रतिष्ठित

पै

रा 79

[2004] 6 पूरक। एससीआर 1104

पै

रा 83

कोटाक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v. ए. बालकृष्णन

& एएनआर।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 689

2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 1406 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 24.11.2020 के निर्णय और आदेश से। गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, रोहन तलवार, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एस. प्रभाकरण, वी. प्रकाश, के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अयंगर शुभ्रांजनी अनंत, एम. ए. गौतम, सुश्री आर. सौम्या, आदर्श मोहनदास, अबीनेश एस., निशांत, राहुल सांगवान, शिवज्ञानम के., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. वर्तमान अपील निर्णय और दिनांकित आदेश को चुनौती देती है

242019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 1406 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद "एन. सी. एल. ए. टी". के रूप में संदर्भित) द्वारा नवंबर, 2020 को पारित किया गया, जिससे प्रतिवादी संख्या 1406 द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई। 1 - निदेशक और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चेन्नई (जिसे इसके बाद "एन. सी. एल. टी". के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित 20 सितंबर, 2019 के आदेश को उलटते हुए, जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया गया है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में "आईबीसी") को स्वीकार किया गया था। विद्वान एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि आवेदन अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया आवेदन समयबद्ध था और वसूली प्रमाणपत्र जारी करने से मुकदमा करने का अधिकार नहीं होगा।

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाली एक संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि है -

निम्नानुसारः 3. वर्ष 1993-1994 के बीच की अवधि के दौरान, इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (इसके बाद "आईबीएचएल" के रूप में संदर्भित) ने इन कंपनियों को अलग-अलग ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी।

" उधारकर्ता इकाइयाँ "):

(i) मेसर्स ग्रीन गार्डन (पी) लिमिटेड,

((ii) मेसर्स जेमिनी आर्ट्स (पी) लिमिटेड और

(iii) मेसर्स महालक्ष्मी प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स (पी) लिमिटेड।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी नं. 2 मेसर्स प्रसाद प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (इसके बाद "कॉर्पोरेट देनदार" के रूप में संदर्भित) कॉर्पोरेट गारंटर/गिरवीदार के रूप में खड़ा था और अपनी अचल संपत्ति को गिरवी रख दिया।

4. इन उधारकर्ता संस्थाओं ने बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक की और बाद में आईबीएचएल ने उनके द्वारा प्राप्त सभी सुविधाओं को इस प्रकार वर्गीकृत कियाः नवंबर 1997 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (संक्षेप में "एन. पी. ए".)। इसके अनुसार, आई. बी. एच. एल. ने बकाया राशि की वसूली के लिए उधारकर्ता संस्थाओं और कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष तीन दीवानी मुकदमे दायर किए। मुकदमों के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता-कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (इसके बाद "के. एम. बी. एल". के रूप में संदर्भित) और आई. बी. एच. एल.

13 अक्टूबर, 2006 को एक असाइनमेंट डीड में प्रवेश किया गया, जिसमें आईबीएचएल ने केएमबीएल को अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, ब्याज, संपत्ति, दावा और उधारकर्ता संस्थाओं से देय ऋणों की मांग सौंपी।

5. उक्त विलेख के अनुसार, के. एम. बी. एल. और उधारकर्ता संस्थाओं ने 7 अगस्त, 2006 को एक समझौता किया (जिसे इसके बाद "उक्त समझौता" के रूप में संदर्भित किया गया है)। उच्च न्यायालय ने 26 मार्च, 2007 के एक सामान्य निर्णय के माध्यम से पक्षों के बीच उक्त समझौते को इस प्रभाव से दर्ज किया कि कॉर्पोरेट देनदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से रु। 29,00,96,918 / - उधारकर्ता संस्थाओं से के. एम. बी. एल. को देय। के. एम. बी. एल. द्वारा यह दावा किया गया था कि उधारकर्ता संस्थाएं। उक्त समझौते के अनुसार भुगतान करने में विफल रहा और इस प्रकार, के. एम. बी. एल. ने प्रतिभूतिकरण की धारा 13 (2) के तहत उन्हें और कॉर्पोरेट देनदार को 26 सितंबर 2007 को एक मांग सूचना जारी की और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन (इसके बाद "सरफेसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। उक्त नोटिस के बाद के. एम. बी. एल. द्वारा 10 जनवरी, 2008 को एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत एक कब्जा नोटिस जारी किया गया था, जो मांग की गई राशि के कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान में चूक के कारण था। के. एम. बी. एल. ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 और 434 के तहत कॉर्पोरेट देनदार को 6 मई, 2008 को एक समापन सूचना जारी की।

6. कॉरपोरेट देनदार और उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा भुगतान के निरंतर चूक से पीड़ित, के. एम. बी. एल. ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की पूर्ववर्ती वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 31 (ए) के तहत तीन आवेदन दायर किए, जिन्हें अब कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की वसूली के रूप में जाना जाता है।

ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

ऋण और दिवालियापन अधिनियम, 1993 (इसके बाद "ऋण वसूली अधिनियम" के रूप में संदर्भित) ऋण वसूली न्यायाधिकरण (संक्षेप में "डी. आर. टी".) के समक्ष उक्त के संदर्भ में ऋण वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए

30 जून, 2017 और 7 जून, 2017 के अलग-अलग वसूली प्रमाण पत्र और 20 अक्टूबर, 2017 को प्रत्येक उधारकर्ता संस्थाओं और कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ जारी किया गया। इस बीच, वर्ष 2008 से 2017 तक, के. एम. बी. एल. द्वारा दायर अवमानना याचिका के साथ-साथ वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दायर आवेदनों को खारिज करने और के. एम. बी. एल. द्वारा दायर समीक्षा आवेदन में राहत देने के संबंध में पक्षों के बीच कुछ कार्यवाही चल रही थी।

7. उपरोक्त वसूली प्रमाणपत्रों के आधार पर,

5 अक्टूबर, 2018 में के. एम. बी. एल. ने वित्तीय लेनदार होने का दावा करते हुए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत सी. पी./1352/आई. बी./2018 के रूप में एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया और निगमित दिवाला समाधान की शुरुआत करने की मांग की।

निगमित देनदार के खिलाफ प्रक्रिया (संक्षेप में "सी. आई. आर. पी".), एक

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से। 9. श्री गुरु कृष्ण कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान कार्यवाही में शामिल मुद्दा अब एकीकृत नहीं है।

न्यायनिर्णयन पर दावा अंतिम निर्णय और आदेश/डिक्री में फलता है, 1 (2021) 10 एस. सी. सी 330 [2022] 5 एस. सी. आर.

और वसूली का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है जो लेनदार को अधिकृत करता है

अपने अवमूल्यन बकाया का भुगतान करें, वसूली प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए लेनदार को एक नया अधिकार प्राप्त होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

(ऊपर), वर्तमान अपील को अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि, 5 अक्टूबर, 2018 को के. एम. बी. एल. द्वारा दायर आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर है।

वसूली प्रमाण पत्र 7 जून, 2017 और 20 अक्टूबर, 2017 हैं।

10. श्री गुरु कृष्ण कुमार ने आगे कहा कि उत्तरदाताओं का आचरण एक बेईमान उधारकर्ता का है। सहमति की शर्तों में प्रवेश करने के बाद, जो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2007 के आदेश के माध्यम से घोषित की गई हैं और समझौता डिक्री में निहित शर्तों का पालन नहीं करने के बाद, अब उत्तरदाताओं के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार करने का विरोध करने के लिए खुला नहीं है।

11. इसके विपरीत, वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन ने कहा कि कार्रवाई का कारण जारी करने के आदेश में मिल गया है

डी. आर. टी. द्वारा वसूली प्रमाणपत्र और इसलिए, विलय के सिद्धांत को लागू करने से, ऋण अब जीवित नहीं रहता है। श्री विश्वनाथन

आगे प्रस्तुत किया कि के. एम. बी. एल. द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बराबर होगी कार्रवाई के एक ही कारण के लिए दूसरी कार्यवाही दायर करना और इस प्रकार रेस जुडिकाटा के सिद्धांत से प्रभावित होगा और विशेष रूप से, प्रति रेम

न्याय करो। इस संबंध में, उन्होंने यू. पी. बनाम राज्य के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। नवाब हुसैन 2 और गुलाबचंद

छोटालाल पारिख बनाम बॉम्बे राज्य (अब गुजरात) 3.

वसूली प्रमाणपत्र को सभी उद्देश्यों के लिए "डिक्री" के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए कि एक डिक्री धारक एक वित्तीय लेनदार के रूप में सी. आई. आर. पी. शुरू कर सकता है, लेकिन ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 (22) के तहत दिए गए वसूली प्रमाण पत्र का धारक आई. बी. सी. के तहत वित्तीय लेनदार या डिक्री धारक के रूप में सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धाराओं (22) और (22 ए) को प्रतिभूति प्रवर्तन द्वारा कानून की पुस्तक में लाया गया था। ऋण कानूनों और विविध प्रावधानों का ब्याज और वसूली

(संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 44), जिसे 16 अगस्त, 2016 को अधिनियमित किया गया था और 4 नवंबर, 2016 से लागू किया गया था। वह.

2 (1977) 2 एस. सी. सी. 806

3 (1965) 2 एस. सी. आर. 547 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v. ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

प्रस्तुत करता है कि उसमें निहित काल्पनिक धारणा केवल समापन कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्यों के लिए लागू होती है। काल्पनिक कल्पना को किसी अन्य उद्देश्य के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, वह अमरजीत सिंह पाथेजा बनाम आई. सी. डी. एस. Ltd.4 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर है।

13. श्री विश्वनाथन ने आगे कहा कि 15 नवंबर, 2016 के बाद, यानी जिस तारीख को आई. बी. सी. की धारा 255 लाई गई थी

और दूसरा उनके निवेदन के समर्थन में कि एक डिक्री-धारक सी. आई. आर. पी. शुरू नहीं कर सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शुभंकर भौमिक (उपरोक्त) के मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली 2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.6104 को इस न्यायालय द्वारा 11 अप्रैल, 2022 को खारिज कर दिया गया है। 14. श्री विश्वनाथन ने कहा कि देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि

उक्त निर्णय उप के प्रावधानों पर विचार किए बिना दिया जाता है

ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की धारा (22) और (22ए) के साथ-साथ धारा 3 के खंड (6), (10), (11) और (12), धारा 5 के खंड (7) और (8), आईबीसी की धारा 6 और धारा 14 (1) (ए)। उन्होंने आगे कहा कि देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि

जिग्नेश शाह और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य और गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और एक अन्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों को गलत तरीके से लागू किया गया और इस तरह, देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार दिया गया है। इस संबंध में, उन्होंने निर्मल जीत कौर बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। एम. पी. राज्य और दूसरा भी सरकार के सचिव के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। केरल, सिंचाई विभाग और अन्य बनाम जेम्स वर्गीज और अन्य।

4 (2006) 13 एस. सी. सी. 322

5 2022 एससीसी ऑनलाइन ट्राई 208 6 (2019) 10 एससीसी 750 7 (2019) 10 एससीसी 572 8 (2004) 7 एससीसी 558

9 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 545 [2022] 5 एस. सी. आर.

15. श्री विश्वनाथन ने आगे कहा कि यदि आई. बी. सी. और ऋण वसूली अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों पर विचार किया जाता है

सही परिप्रेक्ष्य में, जो निष्कर्ष अपरिहार्य होगा वह यह है कि

डिक्री-धारक एक "वित्तीय लेनदार" नहीं है और इस तरह, आई. बी. सी. की धारा 7 के प्रावधानों को लागू करने का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि आई. बी. सी. की धारा 14 के प्रावधान भी इस स्थिति को बढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत, मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखना।

किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित निगमित देनदार

कानून का कोई भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण विशेष रूप से निषिद्ध है। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान एन. सी. एल. ए. टी. ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया है कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत के. एम. बी. एल. द्वारा दायर आवेदन सीमा की अवधि से परे था क्योंकि वसूली प्रमाण पत्र जारी करने से कार्रवाई का एक नया कारण नहीं बनता है और सीमा के उद्देश्य के लिए समय सीमा वर्ष 1997 में शुरू होगी जब उधारकर्ता संस्थाओं के खातों को एन. पी. ए. घोषित किया गया था, और यह कि इसमें कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

16. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री एस. प्रभाकरण और श्री वी. प्रकाश ने आगे की कार्रवाई की है।

उनके तर्क श्री के. वी. विश्वनाथन द्वारा दिए गए तर्कों के समान हैं।

17. श्री गुरु कृष्ण कुमार ने जवाब में कहा कि देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय कानून की स्थिति को सही ढंग से निर्धारित करता है। वह प्रस्तुत करते हैं कि यदि आई. बी. सी. के प्रासंगिक प्रावधानों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है, तो केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि के. एम. बी. एल. एक "वित्तीय लेनदार" है। वह प्रस्तुत करता है कि सही दृष्टिकोण यह होगा कि लेनदार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के आधार पर अंतर्निहित लेनदेन पर विचार किया जाए जो एक डिक्री/रिकवरी सर्टिफिकेट में समाप्त हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि अंतर्निहित लेन-देन ऐसे हैं कि वे एक वित्तीय ऋण का गठन करते हैं और लेनदार एक वित्तीय लेनदार है, तो यह सी. आई. आर. पी. आवेदन की रखरखाव क्षमता तय करने के लिए निर्धारक कारक होगा। सीखा हुआ वरिष्ठ

वकील ने आगे कहा कि निर्णय ऋण अपने कानूनी सार या चरित्र को केवल इसलिए नहीं खोता है क्योंकि यह एक वसूली प्रमाण पत्र में फलता-फूलता है। उन्होंने पी. एस. राममूर्ति शास्त्री बनाम के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया। सेल्वर पेंट्स एंड वार्निश वर्क्स (प्रा.) इस प्रस्ताव के संबंध में Ltd.[1]।

10 द लॉ वीकली, वॉल्यूम। XCVII (97) दिनांक 28 जनवरी, 1984 भाग 1 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v.

ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

उन्होंने मुकुल अग्रवाल बनाम रॉयल रेसिनेक्स प्राइवेट के मामले में विद्वान एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले पर भी भरोसा किया। लिमिटेड "1

18. श्री कुमार ने आगे कहा कि आई. बी. सी. का उद्देश्य है

सभी लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करते हुए निगमित ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करना। वे प्रस्तुत करते हैं कि आई. बी. सी. के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि आई. बी. सी. के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके न कि इस तरह से कि वे उद्देश्य को पराजित कर सकें।

आई. बी. सी.

20. इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, तथ्यात्मक परिदृश्य, उन मुद्दों पर विचार करना उचित होगा जो उत्पन्न हुए थे। देना बैंक (उपर्युक्त) के मामले में विचार और निष्कर्ष पर पहुंचा गया।

21. देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में, निगमित देनदार के ऋण खाते को 31 दिसंबर, 2013 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था। द.

निगमित देनदार ने 24 मार्च, 2014 को अपीलकर्ता बैंक को एक पत्र लिखा था जिसमें सावधि ऋण के पुनर्गठन का अनुरोध किया गया था। अपीलार्थी बैंक ने इसे स्वीकार नहीं किया। 22 दिसंबर, 2014 को बैंक ने कॉर्पोरेट देनदार के साथ-साथ उसमें प्रतिवादी संख्या 2 को कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आह्वान किया गया। 52.12 करोड़। कॉर्पोरेट देनदार ने भुगतान नहीं किया। उस पर

या लगभग 1 जनवरी, 2015 को बैंक ने ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 के तहत 2015 का ओ. ए. No.16 आवेदन दायर किया। 27 मार्च, 2017 को, डी. आर. टी., बेंगलुरु ने कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ Rs.52,12,49,438.60 की वसूली के लिए एक निर्णय और आदेश पारित किया, जिसमें आवेदन दाखिल करने की तारीख से वसूली की तारीख तक प्रति वर्ष 16.55% की दर से भविष्य में ब्याज दिया जाएगा। डी. आर. टी. द्वारा 25 मई, 2017 को रिकवरी प्रमाणपत्र जारी किया गया। बीच की अवधि में कुछ कार्यवाहियां थीं, उसी के संदर्भ की आवश्यकता नहीं होगी। 12 अक्टूबर, 2018 को बैंक ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कंपनी याचिका दायर की। निगमित देनदार ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी प्रारंभिक आपत्ति यह तर्क देते हुए दायर की कि उक्त याचिका

11 2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.777 दिनांक 30.03.2022 [2022] 5 एस. सी. आर.

सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। 21 मार्च, 2019 के आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका को स्वीकार किया और एक अंतरिम समाधान पेशेवर (संक्षेप में "आई. आर. पी".) नियुक्त किया। इसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत एक अपील के माध्यम से विद्वान एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष चुनौती दी गई। विद्वान।

एन. सी. एल. ए. टी. ने 18 दिसंबर, 2019 के आदेश के माध्यम से अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता बैंक द्वारा दायर याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि यह सीमा द्वारा वर्जित थी।

22. इसलिए देना बैंक (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा था, वह यह था कि क्या आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका को इस आधार पर सीमित किया गया था कि यह निगमित देनदार के ऋण खाते को एन. पी. ए. घोषित करने की तारीख से 3 साल की अवधि के बाद दायर किया गया था।

23. उक्त मुद्दे पर विचार करते समय, इस न्यायालय को अन्य मुद्दों पर भी विचार करने के लिए कहा गया था। पहला यह था कि क्या

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही अंतिम निर्णय और डिक्री की तारीख से तीन साल के भीतर और/या वसूली का प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल के भीतर। तीसरा मुद्दा यह था कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत दायर याचिका में अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देने या अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देने की शक्ति थी। 24. यद्यपि देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा इन सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है, हम केवल इस मुद्दे से चिंतित होंगे कि क्या "वित्तीय लेनदार" के पक्ष में वसूली प्रमाण पत्र जारी करने से आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक नए कारण को जन्म मिलेगा। उक्त मामले में इस न्यायालय ने आई. बी. सी. के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार करने के बाद इस प्रकार टिप्पणी की हैः

टेक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v. ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

" 99. इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि धारा 7 या 9 आई. बी. सी. के तहत आवेदन करने की सीमा की अवधि मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है, यानी चूक की तारीख। गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति

पुनर्निर्माण कंपनी (भारत) लिमिटेड [गौरव हरगोविंदभाई

डेव वी. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (भारत) लिमिटेड, (2019) 10 एस. सी. सी. 572: (2020) 1 नरीमन, जे. द्वारा लिखित एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी पी. 574, पैरा 6)

" 6. वर्तमान मामला "एक आवेदन" है जो धारा 7 के तहत दायर किया गया है, केवल अवशिष्ट अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आएगा। "

100. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स [बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम। पराग गुप्ता

& एसोसिएट्स, (2019) 11 एससीसी 633: (2018) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 528], इस न्यायालय ने नरीमन, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहाः (एस. सी. सी पी. 664, पैरा 42)

इस तरह के आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए अधिनियम लागू किया जा सकता है। 101. जिग्नेश शाह बनाम। भारत संघ [जिग्नेश शाह बनाम। भारत संघ, (2019) 10 एस. सी. सी. 750: (2020) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 48] इस न्यायालय ने नरीमन, जे. के माध्यम से बोलते हुए इस प्रस्ताव को दोहराया कि

धारा 7 या 9 आई. बी. सी. के तहत आवेदन करने के लिए सीमा की अवधि मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल थी, यानी चूक की तारीख। 102. वाशदेव आर. भोजवानी बनाम। अभ्युदय कूप। बैंक लिमिटेड [वाशदेव आर. भोजवानी बनाम। अभ्युदय कूप। बैंक लिमिटेड (2019) 9 एस. सी. सी. 158: (2019) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 308] इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूक एक निरंतर गलत थी और इस पर भरोसा करते हुए सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 23 लागू होगी।

बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे बनाम। श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान [बालकृष्ण सावलराम [2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुजारी वाघमारे बनाम। श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान,

1959 पूरक (2) एस. सी. आर. 476: ए. आई. आर 1959 एस. सी 798]। "

25. इस न्यायालय ने आगे इस प्रकार टिप्पणी की:

" 136. एक अंतिम निर्णय और आदेश/डिक्री बाध्यकारी है

न्याय ऋणी। एक बार जब कोई दावा अंतिम निर्णय में परिणत हो जाता है

और आदेश/डिक्री, न्यायनिर्णयन पर, और एक प्रमाण पत्र

वसूली भी जारी की जाती है जो लेनदार को इसका एहसास कराने के लिए अधिकृत करती है।

अवमूल्यन बकाया, लेनदार को वसूली के लिए एक नया अधिकार प्राप्त होता है

अंतिम निर्णय और/या आदेश/डिक्री की राशि और/या वसूली प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट राशि।

*** **** ***

141. इसके अलावा, पक्ष में धन के लिए एक निर्णय और/या डिक्री

डी. आर. टी. या किसी अन्य द्वारा पारित वित्तीय लेनदार का

न्यायाधिकरण या अदालत, या वसूली का प्रमाण पत्र जारी करना

वित्तीय लेनदार के पक्ष में, एक नए ऋण को जन्म देगा

कार्यवाही शुरू करने के लिए वित्तीय लेनदार के लिए कार्रवाई का कारण

कॉर्पोरेट दिवालियापन की शुरुआत के लिए धारा 7 आई. बी. सी. के तहत समाधान प्रक्रिया, तारीख से तीन साल के भीतर

निर्णय और/या डिक्री या तारीख से तीन साल के भीतर

और/या डिक्री और/या वसूली प्रमाण पत्र के संदर्भ में, या इसके किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया गया।

[जोर दिया गया]

26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह न्यायालय देना बैंक के मामले में

(उपर्युक्त) अनुच्छेद 136 और 141 में, स्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार जब कोई दावा अंतिम निर्णय और आदेश/डिक्री में परिणत हो जाता है, तो निर्णय लेने पर, और वसूली का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है जो लेनदार को अपने अवमूल्यन बकाया की वसूली करने के लिए अधिकृत करता है, तो लेनदार को अंतिम निर्णय और/या आदेश/डिक्री और/या वसूली प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि की वसूली करने का एक नया अधिकार प्राप्त होता है। यह आगे कहा गया है यह अभिनिर्धारित किया गया कि वित्तीय लेनदार के पक्ष में वसूली का प्रमाण पत्र जारी करने से वित्तीय लेनदार के लिए कार्रवाई का एक नया कारण पैदा होगा, सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए, निर्णय और/या डिक्री की तारीख से तीन साल के भीतर या वसूली का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन साल के भीतर, यदि कॉर्पोरेट देनदार का वित्तीय देनदार को बकाया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v के तहत।

निर्णय और/या डिक्री और/या वसूली के प्रमाण पत्र के संदर्भ में, या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया गया।

27. इन निष्कर्षों के साथ, हम बहुत अच्छी तरह से अनुमति दे सकते थे

कि देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों और जिग्नेश शाह (उपरोक्त) और गौरव हरगोविंदभाई दवे के मामलों में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों के अनुरूप है। (ऊपर) और चूंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

28. धारा 3 के खंड (6), (10), (11) और (12), धारा 5 के खंड (7) और (8), धारा 6 और धारा (ए) को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

आई. बी. सी. की धारा 14 की उप-धारा (1), जो निम्नानुसार हैः

" 3. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकता है, -

(1) .....

(6) " दावा "का अर्थ है

(क) भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार घटाया गया हो या नहीं

निर्णय, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित या असुरक्षित;

(ख) तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार, यदि ऐसा उल्लंघन भुगतान के अधिकार को जन्म देता है, चाहे वह निर्णय, निश्चित, परिपक्व, अपरिपक्व, विवादित, निर्विवाद, सुरक्षित या असुरक्षित हो।

*** *** ***

(10) " लेनदार "का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे ऋण देना है और इसमें एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक सुरक्षित लेनदार, एक असुरक्षित लेनदार और एक डिक्री-धारक शामिल हैं; [2022] 5 एस. सी. आर.

(11) " "ऋण" से किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं;

(12) " "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय और देय हो गया हो और ऋणी या कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा [भुगतान] नहीं किया गया हो, जैसा भी मामला हो;

****** ***

5. परिभाषाएँ। - इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

(1) .....

.....

(7) " "वित्तीय लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है;

(8) " "वित्तीय ऋण" से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण अभिप्रेत है, जो धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है।

और इसमें शामिल हैं

(क) ब्याज के भुगतान के बदले उधार ली गई राशि;

(ख) किसी भी स्वीकृति ऋण सुविधा या उसके अव्यावहारिक समतुल्य के तहत स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई राशि;

(ग) किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टॉक या किसी भी समान साधन के जारी होने के अनुसार जुटाई गई कोई राशि; (घ) किसी पट्टे या किराया खरीद अनुबंध के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि जिसे भारतीय लेखा मानकों या ऐसे अन्य लेखा मानकों के तहत वित्त या पूंजी पट्टे के रूप में माना जाता है जो निर्धारित किए जा सकते हैं;

(ई) गैर-सहारा आधार पर बेची गई किसी भी प्राप्य वस्तु के अलावा बेची गई या छूट प्राप्त वस्तुएँ;

(च) किसी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता भी शामिल है, जिसका उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव है; टेक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v.

ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,

(छ) के संबंध में किया गया कोई व्युत्पन्न लेन-देन किसी भी दर या मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा या लाभ और किसी भी व्युत्पन्न लेनदेन के मूल्य की गणना के लिए, केवल ऐसे लेनदेन के बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।

(ज) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, दस्तावेजी ऋण पत्र या किसी अन्य साधन के संबंध में कोई प्रति-क्षतिपूर्ति दायित्व; (i) इस खंड के उपखंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि;

****** ***

6. ऐसे व्यक्ति जो निगमित दिवाला समाधान की शुरुआत कर सकते हैं

प्रक्रिया। — जहाँ कोई निगमित देनदार चूक करता है, वहाँ एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या निगमित देनदार स्वयं इस संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

इस अध्याय के अधीन उपबंधित रीति से ऐसे निगमित ऋणी का।

****** ***

14. अधिस्थगन। - (1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करने के लिए स्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात्:

(क) किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ लंबित मुकदमों या कार्यवाही की स्थापना या निरंतरता; "[2022] 5 एस. सी. आर.

29. आई. बी. सी. की धारा 3 का खंड (6) "दावा" शब्द को दो भागों में परिभाषित करता है। आई. बी. सी. की धारा 3 के खंड (6) के उपखंड (ए) में इस शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है, भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार कम किया गया हो या नहीं।

निर्णय, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित या असुरक्षित। आई. बी. सी. की धारा 3 के खंड (6) के उपखंड (बी) से पता चलेगा कि एक दावे का अर्थ उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार भी होगा।

लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक सुरक्षित लेनदार, एक असुरक्षित लेनदार और एक डिक्री-धारक। 31. आई. बी. सी. की धारा 3 का खंड (11) "ऋण" शब्द को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है, किसी दावे के संबंध में दायित्व या दायित्व जो किसी से देय है।

व्यक्ति और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं।

33. आई. बी. सी. की धारा 5 का खंड (7) "वित्तीय लेनदार" शब्द को किसी भी व्यक्ति के लिए परिभाषित करता है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है।

34. आई. बी. सी. की धारा 5 का खंड (8) "वित्तीय ऋण" शब्द को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है ब्याज के साथ ऋण, यदि कोई हो, जो वितरित किया जाता है।

मुद्रा के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध और विभिन्न निर्दिष्ट करता है उपखंड (ए) से (एच) में ऋणों की श्रेणियां, जिन्हें "वित्तीय ऋण" शब्द की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के उपखंड (i) में प्रावधान है कि इस खंड के उपखंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि को "वित्तीय ऋण" शब्द की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

35. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के उपखंड (ए) से (एच) विशिष्ट श्रेणियों से संबंधित हैं, जो

"वित्तीय ऋण" शब्द की परिभाषा में आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के उपखंड (i) में किसी भी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v की राशि शामिल होगी।

ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

36. आई. बी. सी. की धारा 6 में यह प्रावधान है कि सी. आई. आर. पी. कौन शुरू कर सकता है। यह प्रावधान करता है कि जहां कोई भी कॉर्पोरेट देनदार चूक करता है, एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या निगमित देनदार स्वयं उक्त अध्याय के तहत प्रदान किए गए तरीके से ऐसे निगमित देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू कर सकता है।

37. आई. बी. सी. की धारा 14 "अधिस्थगन" प्रदान करती है, जिसके परिणामस्वरूप

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पर आई. बी. सी. की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने पर। आई. बी. सी. की धारा 14 की उप-धारा (1) का खंड (ए) उनके खिलाफ मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखने पर रोक लगाता है। निगमित ऋणी जिसमें किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन शामिल है।

38. आई. बी. सी. की योजना से, यह देखा जा सकता है कि जहाँ कोई

एक दावा जो किसी भी व्यक्ति से देय है और जिसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। एक दावे का अर्थ है भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार निर्णय, निश्चित, विवादित आदि तक सीमित हो या नहीं। यह तय से अधिक है कि सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए ट्रिगर बिंदु तब होता है जब एक डिफ़ॉल्ट होता है। एक चूक तब होती है जब किसी दावे के संबंध में ऋण देय होता है और भुगतान नहीं किया जाता है। एक दावे में भुगतान का अधिकार शामिल होगा कि क्या इस तरह के अधिकार को निर्णय तक सीमित कर दिया गया है या नहीं। 39. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाए।

40. स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1 के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सभी लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करते हुए कॉर्पोरेट ऋणदाता को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करना आई. बी. सी. का उद्देश्य है।

11 2 (2019) 4 एस. सी. सी 17 [2022] 5 एस. सी. आर.

41. यह कानून का एक समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि क़ानून के सभी प्रावधानों को एक दूसरे के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और नहीं

प्रावधान को अलग से पढ़ा जा सकता है।

42. इस पृष्ठभूमि में, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या कोई व्यक्ति, जिसके पास वसूली प्रमाण पत्र है, वह वित्तीय लेनदार होगा।

आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (7) के अर्थ के भीतर।

43. एक व्यक्ति को "वित्तीय लेनदार" होने का हकदार होना चाहिए

वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल होगा जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है। इसलिए, एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी, वह यह है कि क्या वसूली प्रमाणपत्र से उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में देयता को आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के तहत परिभाषित "वित्तीय ऋण" शब्द के अर्थ के भीतर शामिल किया जाएगा।

44. यह ध्यान रखना उचित होगा कि आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) में, अर्थात, "वित्तीय ऋण" शब्द की परिभाषा खंड, शब्द

उपयोग किए गए हैं "ब्याज के साथ एक ऋण, यदि कोई हो, जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ वितरित किया जाता है और इसमें शामिल है"।

45. इस मोड़ पर, हम दिलवर्थ बनाम डाक टिकट आयुक्त के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा कर सकते हैं।

इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गयाः

" 'शामिल' शब्द का उपयोग आम तौर पर व्याख्या खंडों में किया जाता है ताकि क़ानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाया जा सके और जब इसका उपयोग किया जाता है तो इन शब्दों या वाक्यांशों को समझने के रूप में माना जाना चाहिए, न केवल ऐसी चीजें जो वे अपने प्राकृतिक महत्व के अनुसार दर्शाती हैं, बल्कि वे भी जो

जिन चीजों की व्याख्या खंड घोषणा करता है कि वे शामिल होंगी। लेकिन 'शामिल' शब्द दूसरे के लिए अतिसंवेदनशील है।

निर्माण, जो अनिवार्य हो सकता है, यदि अधिनियम का संदर्भ यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इसका उपयोग केवल शब्दों के प्राकृतिक महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था या

अभिव्यक्तियाँ परिभाषित की गई हैं। यह 'मतलब और शामिल' के बराबर हो सकता है, और उस मामले में यह उस अर्थ की एक विस्तृत व्याख्या कर सकता है, जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निश्चित रूप से होना चाहिए

इन शब्दों या अभिव्यक्तियों से जुड़ा हुआ है।

13 (1899) ए. सी. 99 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v. ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

46. एसोसिएटेड इंडेम मैकेनिकल (पी) के मामले में यह न्यायालय

लिमिटेड बनाम। डब्ल्यू. बी. लघु उद्योग विकास निगम। लिमिटेड और अन्य 1 4 डब्ल्यू. बी. सरकारी परिसर (किरायेदारी विनियमन) की धारा 2 (सी) के तहत प्रदान की गई "परिसर" शब्द की परिभाषा का अर्थ लगाते हुए अधिनियम, 1976 में इस प्रकार कहा गया हैः

" 13. ..... धारा 2 (सी) में परिसर की परिभाषा का उपयोग करता हैः शब्द "शामिल" दो स्थानों पर है। यह अच्छी तरह से तय है कि शब्द

" सम्मिलित "का उपयोग आम तौर पर व्याख्या खंडों में क्रम में किया जाता है

में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बड़ा करना

कानून का मुख्य भाग; और जब इसका इस प्रकार उपयोग किया जाता है तो वे शब्द या

वाक्यांशों को समझने के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि केवल इस तरह के

वे शामिल होंगे। (

दादाजी वी. देखें। सुखदेवबाबू [(1980) 1 एस. सी. सी. 621: ए. आई. आर. 1980 एससी

150] ; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड

निवेश कंपनी लिमिटेड [(1987) 1 एस. सी. सी. 424: AIR 1987 SC 1023]

और महालक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम। ए. पी. राज्य (1989) 1 एस. सी. सी. 164

: 1989 एस. सी. सी. (कर) 56: ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 335) समावेशी परिभाषा

संविधान के अनुच्छेद 236 (ए) में "जिला न्यायाधीश" का पद दिया गया है।

बहुत व्यापक रूप से विशेष नागरिक के पदानुक्रम को शामिल करने के लिए समझा जाता है

अदालतें। श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय जो नहीं हैं

परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल। (देखें स्थिति

महाराष्ट्र बनाम. लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन [(1998) 2 एससीसी

688 1998 एससीसी (एल एंड एस) 657: ए. आई. आर 1998 एस. सी. 1233]) इसलिए,

प्रतिबंध लगाने के लिए कोई वारंट या औचित्य नहीं है

केवल आवासीय भवनों पर ही अधिनियम की प्रयोज्यता

इस आधार पर कि परिभाषा के प्रारंभिक भाग में

शब्द "परिसर", शब्द "भवन या झोपड़ी" हैं

इस्तेमाल किया गया "।

[जोर दिया गया]

47. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि जब "सम्मिलित" शब्द का उपयोग व्याख्या खंडों में किया जाता है, इसका प्रभाव क़ानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाना होगा। इस तरह की व्याख्या खंड का उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि उन शब्दों या वाक्यांशों को समझने के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि केवल ऐसी चीजें,

1 4 (2007) 3 एस. सी. सी. 607 [2022] 5 एस. सी. आर.

आई उनके प्राकृतिक महत्व के अनुसार दर्शाता है, लेकिन उन चीजों को भी जो व्याख्या खंड घोषित करता है कि वे शामिल होंगी। इस तरह के प्रतिबंध में, कोई वारंट या औचित्य नहीं होगा

प्रावधान के लिए।

48. कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम के मामले में

नोथर बनाम अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ", इस न्यायालय ने" व्यक्ति "शब्द की परिभाषा को तोड़ते हुए, जैसा कि धारा में पाया जा सकता है।घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) (एम) के साथ पढ़ा जाए,

वेद इस प्रकार है:

" 17. यह बिना कहे चला जाता है कि एक शब्द की व्याख्या या

अभिव्यक्ति पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए। विधायिका द्वारा "शामिल" शब्द का सहारा लेना अक्सर विधायिका के इरादे को दर्शाता है कि वह इस तरह की अभिव्यक्ति को व्यापक और विस्तृत अर्थ देना चाहती थी। हालाँकि, कभी-कभी, संदर्भ यह सुझाव दे सकता है कि "शामिल" शब्द को इस प्रकार बनाया गया हो सकता है

मतलब "मतलब"। किसी अधिनियम की स्थापना, संदर्भ और उद्देश्य शब्द की व्याख्या के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

" इसमें "ऐसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए" शामिल हैं। 18. धारा 2 (1) (एम) जो चार श्रेणियों की गणना करती है, अर्थात्:

((ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार; ((ग) एक सहकारी समिति; और

((iv) व्यक्तियों का प्रत्येक अन्य संघ, चाहे वह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत हो या नहीं।

जबकि "व्यक्ति" को परिभाषित करना प्रतिबंधात्मक और इन चार श्रेणियों तक सीमित नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह "व्यक्ति" के संदर्भ में नहीं कहा गया है।

उन चीजों में से एक या अन्य का अर्थ होगा जो गणना की गई हैं, लेकिन

कि यह उन्हें "शामिल" करेगा।

19. धारा 3 (42) में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 परिभाषित करता है

" व्यक्ति ":

" 3. (42) ' 'व्यक्ति' में कोई कंपनी या संघ शामिल होगा या

व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं;

9) 3 एस. सी. सी. 240 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v. ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

20. 1986 के अधिनियम की धारा 3 जिस पर निर्भर किया जाता है - के. पी. टी. सी. के विद्वान वकील का कहना है कि अधिनियम के प्रावधान

के अतिरिक्त हैं और किसी अन्य कानून के अपमान में नहीं हैं बल में समय। के. पी. टी. सी. के विवाद में मदद करने के बजाय यह प्रावधान सुझाव देगा कि उपचार तक पहुंच

1986 के अधिनियम (एस. आई. सी. के तहत) को प्रदान किया गया है उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान। ऐसा नहीं है।

किसी भी तरह से "व्यक्ति" की परिभाषा को प्रतिबंधित करने के लिए कोई भी संकेत दें।

21. धारा 2 (1) (एम), सभी प्रश्नों से परे एक व्याख्या खंड है,

और विधायिका द्वारा लिया जाना चाहिए था

"व्यक्ति" अभिव्यक्ति को समझाने में खाता जैसा कि इसमें होता है

धारा 2 (1) (घ)। धारा 2 (1) (एम) में "व्यक्ति" को परिभाषित करते हुए, विधायिका का इरादा कभी भी कंपनी जैसे न्यायिक व्यक्ति को बाहर करने का नहीं था।

वास्तव में, गणना के माध्यम से चार श्रेणियां

इसमें उल्लिखित श्रेणियाँ (i), (ii) और (iv) सूचक हैं।

निगमित और श्रेणी (iii) निगमित, इसके इरादे से

इसमें निगमित निकाय के साथ-साथ निगमित निकाय भी शामिल हैं। द.

धारा 2 (1) (एम) में "व्यक्ति" की परिभाषा समावेशी है और नहीं

संपूर्ण। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी भी संदेह को स्वीकार करते हैं कि

कंपनी धारा 2 (1) (डी) के अर्थ के भीतर एक व्यक्ति है

धारा 2 (1) (एम) के साथ और हम तदनुसार मानते हैं।

49. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि "कंपनी" शब्द था

कर्नाटक विद्युत पारेषण के मामले में यह न्यायालय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) (एम) में विशेष रूप से शामिल नहीं है निगम (ऊपर) ने पाया कि विधायिका का इरादा कभी भी कंपनी जैसे न्यायिक व्यक्ति को "व्यक्ति" शब्द की परिभाषा से बाहर करने का नहीं था।

यह पाया गया कि इसमें उल्लिखित श्रेणियां (i), (ii) और (iv) गैर-निगमित थीं और श्रेणी (iii) निगमित थी। इस प्रकार, विधायी इरादा निगमित निकाय के साथ-साथ निगमित निकाय को भी शामिल करना था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 2 (1) (एम) में "व्यक्ति" की परिभाषा समावेशी थी और संपूर्ण नहीं थी।

50. पायनियर के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य "संशोधनों को चुनौती देने पर विचार कर रहे थे। आई. बी. सी. को दिए गए स्पष्टीकरण के माध्यम से आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के उपखंड (एफ) में जो प्रावधान करता है कि कोई भी राशि

किसी अचल संपत्ति परियोजना के तहत किसी आबंटित व्यक्ति से जुटाई गई राशि को उधार लेने के वाणिज्यिक प्रभाव वाली राशि माना जाएगा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "अभिव्यक्ति" और इसमें "विषय की बात शामिल है-ऐसे मामले जो आवश्यक रूप से परिभाषा के मुख्य भाग में प्रतिबिंबित नहीं हो सकते हैं"।

51. इन सिद्धांतों को धारा 5 के खंड (8) में लागू करना

आई. बी. सी., यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शब्दों का अर्थ है "ब्याज के साथ एक ऋण, यदि कोई हो, जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ वितरित किया जाता है" के बाद "और शामिल" शब्द आते हैं। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों (ए) से (आई) का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट है कि "और शामिल" शब्दों का उपयोग करके, विधानमंडल ने केवल ऐसे उदाहरण दिए हैं, जिन्हें "वित्तीय ऋण" शब्द में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, यह सूची संपूर्ण नहीं बल्कि समावेशी है। विधायी इरादा नहीं हो सका वसूली प्रमाणपत्र से उत्पन्न होने वाले "दावे" के संबंध में देयता को "वित्तीय ऋण" शब्द की परिभाषा से बाहर करना है, जब "दावा" सरलीकरण के संबंध में ऐसी देयता को "वित्तीय ऋण" शब्द की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

52. जो भी हो, हम यहाँ पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए ट्रिगर पॉइंट दावे का डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट "देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा ऋण का भुगतान न करना है, जिसके पास है

देय और देय होना, जैसा भी मामला हो, एक "ऋण" एक दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व है जो किसी भी व्यक्ति से देय है, और एक "दावा" का अर्थ है भुगतान का अधिकार, चाहे ऐसा अधिकार निर्णय तक सीमित हो या नहीं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब तक कोई "दावा" नहीं है, जिसे किसी निर्णय तक सीमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तब तक कोई नहीं होगा।

" ऋण "और परिणामस्वरूप ऐसे" ऋण "का भुगतान न करने पर कोई" चूक "नहीं। जब "दावा" का अर्थ स्वयं भुगतान का अधिकार होता है, चाहे ऐसा अधिकार निर्णय तक सीमित किया जाए या नहीं, तो हम पाते हैं कि यदि उत्तरदाताओं का यह तर्क, कि केवल एक "दावा" के डिक्री में फलीभूत होने पर, वह आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के दायरे से बाहर होगा, स्वीकार किया जाता है, तो यह आई. बी. सी. में उपयोग की जाने वाली सादे भाषा के साथ असंगत होगा। जैसा कि पहले ही यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, परिभाषा समावेशी है और संपूर्ण नहीं है। के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए

आई. बी. सी., विधायिका कभी भी किसी ऋण को आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के दायरे से बाहर रखने का इरादा नहीं रख सकती थी, जो एक डिक्री के रूप में स्पष्ट है।

53. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वसूली प्रमाण पत्र से उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में देयता निम्नलिखित के दायरे में एक "वित्तीय ऋण" होगाः आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के तहत प्राकृतिक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के रूप में इसकी परिभाषा v.

ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

इसके परिणामस्वरूप, इस तरह के वसूली प्रमाण पत्र का धारक आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (7) के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार होगा। इस प्रकार, ऐसा "व्यक्ति" आई. बी. सी. की धारा 6 के तहत प्रदान किया गया एक "व्यक्ति" होगा जो सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार होगा।

54. जहां तक आई. बी. सी. की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के संबंध में उत्तरदाताओं के तर्क का संबंध है, हम यह नहीं पाते हैं कि आई. बी. सी. की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ यह हो सकता है कि डिक्री-धारक सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. के प्रावधानों को लागू करने का हकदार नहीं है। उक्त धारा के एक सादे अध्ययन से स्पष्ट रूप से यह प्रावधान होगा कि एक बार सी. आई. आर. पी. शुरू होने के बाद, किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमे या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखने पर प्रतिबंध होगा। मुकदमे की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखने पर प्रतिबंध, जिसमें डिक्री का निष्पादन भी शामिल है, नहीं होगा।

इसका मतलब यह है कि एक डिक्री-धारक को सी. आई. आर. पी. शुरू करने से भी प्रतिबंधित किया गया है, यदि वह अन्यथा कानून में हकदार है। प्रभाव यह होगा कि आवेदक, जो एक डिक्री धारक है, को स्वयं अपने पक्ष में डिक्री को निष्पादित करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

55. यह हमें इस विवाद पर विचार करने के लिए छोड़ देता है कि क्या देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इसके विपरीत है

आई. बी. सी. इस तरह की समय-प्रतिबंधित याचिका को नया जीवन नहीं देगा। वर्तमान मामले में विचार के लिए जो प्रश्न आता है, वह है - क्या एक दावा जो एक डिक्री में फलदायी है, एक नया कारण [2022] 5 एस. सी. आर. देगा।

ऐसी डिक्री से तीन साल की अवधि के भीतर आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने के लिए कार्रवाई या नहीं। यह मुद्दा जिग्नेश शाह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए नहीं आया। 57. गौरव हरगोविंदभाई दवे (उपरोक्त) के मामले में, उसमें प्रतिवादी को 21 जुलाई, 2011 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था और आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन वर्ष 2017 में दायर किया गया था, जबकि आई. बी. सी.

1 दिसंबर, 2016 को लागू किया गया। उक्त मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि वह समय उस तारीख से शुरू हुआ जब प्रतिवादी को एन. पी. ए. घोषित किया गया था और इस प्रकार, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन, जो तीन साल की अवधि से आगे दायर किया गया था, सीमा द्वारा वर्जित था। यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति उस तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन दायर करने का हकदार होगा जिस दिन डिक्री पारित की गई थी या वसूली प्रमाण पत्र दिया गया था, इस पर विचार नहीं किया गया था।

मामला भी कहा।

58. श्री विश्वनाथन ने आगे तर्क दिया कि जिग्नेश शाह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने कलकत्ता के फैसले को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर प्रसाद केजरीवाल एंड संस लिमिटेड बनाम के मामले में उच्च न्यायालय। गारोडिया हार्डवेयर स्टोर "। इस संबंध में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि यह न्यायालय उन विभिन्न निर्णयों पर विचार कर रहा था जिन पर भरोसा किया गया था

डॉ. सिंघवी द्वारा। जहां तक रामेश्वर प्रसाद केजरीवाल (उपरोक्त) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का संबंध है, उक्त मामले में कार्रवाई का कारण वर्ष 1992 में सामने आया। मुकदमा 1994 में दायर किया गया था और डिक्री वर्ष 1997 में प्राप्त की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि समापन याचिका वर्ष 2001 में, यानी तीन साल की अवधि के बाद दायर की गई थी। यह तर्क देने की मांग की गई कि सीमा अवधि 12 वर्ष होगी। वही अस्वीकार कर दिया गया था। 59. इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री विश्वनाथन ने जिग्नेश शाह (उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैराग्राफ 21 का उल्लेख इस हद तक किया है कि इस अदालत ने कहा कि वसूली के लिए मुकदमा, जो कि समापन के उपाय से अलग और स्वतंत्र कार्यवाही है, किसी भी तरह से उस सीमा को प्रभावित नहीं करेगा जिसके भीतर समापन कार्यवाही दायर की जानी है, किसी भी तरह से समापन कार्यवाही के उद्देश्य के लिए ऋण को जीवित रखते हुए। हालांकि, यह सवाल कि क्या ऐसा मुकदमा या आवेदन जो एक डिक्री या वसूली प्रमाण पत्र में समाप्त हो गया है, कार्रवाई का एक नया कारण देगा

17 2001 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 586 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v. ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

उक्त निर्णय/मामले में विचार के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर नहीं किया गया था। उक्त निर्णय को इस प्रस्ताव के लिए एक अनुपात निर्णय नहीं माना जा सकता है कि मुकदमा घोषित होने या वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी, यह तीन साल की अवधि के भीतर सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए कार्रवाई का नया कारण नहीं दे सकता है। 60. भारत संघ और अन्य बनाम धनवंती के मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुपात निर्णय का संक्षिप्त अवलोकन किया गया है।

देवी और अन्य 1 8, जो निम्नानुसार हैः

" 9. ..... यह सब कुछ नहीं है जो एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय देते समय कहा जाता है जो एक मिसाल है। एक पक्ष को बाध्य करने वाले न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है और

इस कारण से किसी निर्णय का विश्लेषण करना और उससे अनुपात को अलग करना महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक निर्णय में तीन बुनियादी अभिधारणाएँ होती हैं (i) भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष, प्रत्यक्ष और अनुमानित। तथ्यों का एक अनुमानित निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष, या बोधगम्य तथ्यों से प्राप्त करता है; (ii) तथ्यों द्वारा प्रकट कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों के बयान; और (iii) उपरोक्त के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय। निर्णय केवल एक प्राधिकरण है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है। क्या बात है?

किसी निर्णय का सार उसका अनुपात होता है, न कि उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन और न ही निर्णय में की गई विभिन्न टिप्पणियों से जो तार्किक रूप से अनुसरण किया जाता है। प्रत्येक निर्णय को साबित किए गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या साबित होने के लिए माना जाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्तियों की व्यापकता जो वहाँ पाई जा सकती है, उसका उद्देश्य पूरे कानून की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य है जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ पाई जानी हैं। इसलिए, निर्णय से यहाँ और वहाँ एक वाक्य निकालना और उस पर निर्माण करना लाभदायक नहीं होगा क्योंकि निर्णय का सार इसका अनुपात और अनुपात है।

हर अवलोकन उसमें नहीं पाया जाता है। जिस कारण या सिद्धांत पर अदालत के समक्ष किसी प्रश्न का निर्णय लिया गया है, उसका उच्चारण ही एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी है। केवल ठोस निर्णय ही पक्षकारों के बीच बाध्यकारी होता है, लेकिन यह अमूर्त अनुपात निर्णय होता है, जिसका निर्धारण निर्णय पर विचार करने पर किया जाता है।

निर्णय के विषय के संबंध में, जिसमें केवल कानून की शक्ति है और जो, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वह क्या था, तो बाध्यकारी है। यह.

18 (1996) 6 एससीसी 44 [2022] 5 एस. सी. आर.

यह केवल निर्णय में निर्धारित सिद्धांत है जो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी कानून है। एक जानबूझकर न्यायिक निर्णय एक प्रश्न पर एक तर्क सुनने के बाद आया है जो मामले में उत्पन्न होता है या जिसे मुद्दे में रखा जाता है, एक मिसाल का गठन कर सकता है, चाहे कोई भी कारण हो, और लंबी मान्यता द्वारा मिसाल टकटकी निर्णय के नियम में परिपक्व हो सकती है। यह से कटौती योग्य नियम है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए कानून का अनुप्रयोग जो इसके अनुपात का निर्धारण करता है।

61. क्षेत्रीय प्रबंधक और एक अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित होगा।

पवन कुमार दुबे 1 9:

" 7. ..... यहां तक कि जहां कुछ संघर्ष प्रतीत होता है, हम सोचते हैं कि यह तब गायब हो जाएगा जब प्रत्येक मामले के अनुपात निर्णय को सही ढंग से समझा जाएगा। यह कानून के अनुप्रयोग से लेकर किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तक अनुमानित नियम है जो इसके अनुपात का निर्धारण करता है न कि उन तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष जो समान प्रतीत हो सकते हैं। एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है, भले ही प्रत्येक मामले में समान सिद्धांतों को समान तथ्यों पर लागू किया जाए।

62. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है।

जब प्रत्येक मामले में समान तथ्यों के लिए समान सिद्धांत लागू किए जाते हैं।

63. यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि जिग्नेश शाह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय उनके द्वारा लिखा गया था।

R.F.Nariman, J. R.F.Nariman, J. वाशदेव आर. भोजवानी बनाम अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य 20 के मामले में, बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे और अन्य बनाम श्री के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए।

ध्यानेश्वर महाराज संस्थान और अन्य 2 1 ने इस प्रकार कहा है:

" इस निर्णय के बाद, यह स्पष्ट है कि जब पुनर्प्राप्ति प्रमाण पत्र दिनांक 24-12-2001 जारी किया गया था, तो इस प्रमाण पत्र के परिणामस्वरूप अपीलार्थी के अधिकारों को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। कौन सी
सीमा टिक टिक करना शुरू कर देती "।

19 (1976) 3 एससीसी 334 20 (2019) 9 एससीसी 158 21 1959 पूरक (2) एस. सी. आर. 476:

ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 798 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम। ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

64. उक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 2 को 23 दिसंबर, 1999 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था। 24 आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन 21 जुलाई, 2017 को दायर किया जाना था। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने पाया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन, जो लगभग 16 साल की अवधि के बाद दायर किया गया था, यानी तीन साल की अवधि से बहुत अधिक, सीमा द्वारा वर्जित था।

65. यह पाया गया कि समापन दाखिल करने के लिए सीमा अवधि

याचिका तीन साल की होगी और चूंकि यह तीन साल की अवधि के बाद दायर की गई थी, इसलिए इसे खारिज किया जा सकता था। वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन वसूली प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दायर किया गया था।

66. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने कहा कि वसूली प्रमाणपत्र जारी करने से अपीलार्थी को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से नुकसान हुआ है।

अधिकार और इसलिए सीमा उक्त तिथि से शुरू होगी। वास्तव में, इस न्यायालय ने कहा कि वसूली प्रमाण पत्र जारी करना

सीमा को ट्रिगर कर सकता है। इस प्रकार, हमारे विचार में, देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने उचित रूप से वाशदेव आर. भोजवानी (उपर्युक्त) पर भरोसा किया है, जो बदले में, बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के पहले के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करता था।

67. श्री विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने इस कथन को मजबूत करने के लिए इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया कि

दो-देना बैंक (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ इनक्यूरियम के अनुसार है। हाल ही में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ (जिसमें एल. एन. राव और बी. आर. गवई, जे. जे. शामिल हैं) जेम्स वर्गीज (उपरोक्त) के मामले में इस सिद्धांत पर विचार करने का अवसर मिला था। यह एक स्थापित कानून है कि "इनकुरिया" का शाब्दिक अर्थ है "लापरवाही"। एक निर्णय या निर्णय किसी कानून, नियम या विनियमन में कोई भी प्रावधान हो सकता है, जिसे न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। यह इनक्यूरियम के अनुसार भी हो सकता है यदि इसके अनुपात को सह-समान या बड़ी पीठ के पहले घोषित निर्णय के साथ जोड़ना संभव नहीं है।

68. देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अवलोकन से पता चलेगा कि इस न्यायालय ने सभी प्रासंगिक बातों पर विचार किया है।

आई. बी. सी. के प्रावधान और इस न्यायालय के पहले के निर्णय। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, हम देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में पहले के फैसलों [2022] 5 एस. सी. आर. के साथ कोई विसंगति नहीं पाते हैं।

इस न्यायालय का, जिस पर श्री विश्वनाथन द्वारा निर्भरता रखी गई है। हम पाते हैं कि यह तर्क कि देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के वैधानिक प्रावधानों और पहले के निर्णयों के अनुरूप नहीं है, पूरी तरह से अस्थिर है।

69. हम पहले ही ऊपर विचार करने की कवायद कर चुके हैं।

आई. बी. सी. के सुसंगत प्रावधान नए सिरे से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वसूली प्रमाणपत्र से उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में देयता आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) के अर्थ के भीतर एक "वित्तीय ऋण" होगा और वसूली प्रमाणपत्र का धारक आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (7) के अर्थ के भीतर एक "वित्तीय लेनदार" होगा। हमने यह भी माना है कि एक व्यक्ति वसूली प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार होगा। हमारा विचार है कि देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानूनी रूप से सही है और हम इसकी पुष्टि करते हैं।

70. यह हमें श्री विश्वनाथन के साथ विवाद के साथ छोड़ देता है

ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धाराओं (22) और (22 ए) के संबंध में, जो इस प्रकार हैः

न्या

याधिकरण। - (1)

द.

" 19 .

आवेदन

को

(22) पीठासीन अधिकारी वसूली का प्रमाण पत्र जारी करेगा। उप-धारा (20) के तहत अंतिम आदेश के साथ, वसूली अधिकारी को उसके हस्ताक्षर के तहत ब्याज के साथ ऋण के भुगतान के लिए

प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट ऋण की राशि की वसूली।

(22 - ए) पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी कोई भी वसूली प्रमाण पत्र

उप-धारा (22) के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2008 का 9) के तहत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी या किसी भी व्यक्ति या साझेदारी फर्म के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही के तहत पंजीकृत कंपनी के खिलाफ समापन कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्यों के लिए अदालत की डिक्री या आदेश माना जाएगा।

उस समय लागू कानून, जैसा भी मामला हो "।

71. यह देखा जा सकता है कि ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22) पीठासीन अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देती है

उप-धारा (20) के तहत भुगतान के लिए अंतिम आदेश के साथ वसूली का भुगतान कोटाक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v.

ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

ब्याज के साथ ऋण। प्रमाण पत्र वसूली के उद्देश्यों के लिए दिया जाता है।

प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट ऋण की राशि। ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22ए) में प्रावधान है कि कोई भी वसूली उप-धारा (22) के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को किसी कंपनी आदि के खिलाफ समापन कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्यों के लिए न्यायालय की डिक्री या आदेश माना जाएगा।

72. श्री विश्वनाथन ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि पुनर्प्राप्ति

प्रमाणपत्र समापन कार्यवाही शुरू करने के सीमित उद्देश्य के लिए है।

यदि हम श्री विश्वनाथन के तर्क को स्वीकार करते हैं, तो हमें "न्यायालय की डिक्री या आदेश माना जाएगा" और "समापन कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्यों के लिए" शब्दों के बीच "सीमित" शब्द डालना होगा। यदि विवाद को स्वीकार किया जाना है, तो ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22ए) को इस प्रकार पुनर्गठित करना होगाः

" उप के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी कोई भी वसूली प्रमाण पत्र

धारा (22) को समापन कार्यवाही शुरू करने के सीमित उद्देश्यों के लिए न्यायालय की डिक्री या आदेश माना जाएगा।

73. हमारे सुविचारित विचार में, यदि हम उक्त निवेदन को स्वीकार करते हैं, तो

इसके परिणामस्वरूप ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22ए) के प्रावधानों के साथ हिंसा होगी।

74. इसके बारे में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा।

मोहम्मद के मामले में अदालत। शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य और अन्य 22:

" 179. अन्यथा भी, यह कानून में एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि

न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो

स्पष्ट और असंदिग्ध है। में प्रयुक्त भाषा

कानून विधायी इरादे का एक निर्धारक कारक है। अगर अधिनियम की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है, यह

अदालतों के लिए इसमें कोई शब्द जोड़ना उचित नहीं होगा।

और कुछ विधायी इरादे विकसित करें, जो क़ानून में नहीं पाए जाते हैं।

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम की स्थिति हरियाणा [(2009) 3 एससीसी 553]। ”

[जोर दिया गया]

75. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब एक वैधानिक की भाषा प्रावधान स्पष्ट और असंदिग्ध है, न्यायालय के लिए इसकी अनुमति नहीं है

किसी क़ानून में शब्दों को जोड़ें या घटाएं या उसमें कुछ ऐसा पढ़ें जो वहां नहीं है। यह कानून को फिर से नहीं लिख सकता या फिर से नहीं बना सकता है। दोहराने की कीमत पर, हम देखते हैं कि यदि श्री विश्वनाथन द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो यह ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (22 ए) के ताने-बाने को पूरी तरह से बदल देगा।

76. हालाँकि समर्थन करने के लिए कई अधिकारी हैं

इस प्रस्ताव पर, हम उनके साथ अपने निर्णय का बोझ नहीं डालना चाहते हैं। नसीरुद्दीन और अन्य बनाम सीता राम अग्रवाल के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को संदर्भित करने के लिए यह पर्याप्त है।

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

" 37. कानून की व्याख्या करने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है।

जब वही अस्पष्ट होता है। यह सर्वविदित है कि किसी मामले में

कोर्ट कपड़े को इस्त्री कर सकता है लेकिन यह बनावट को नहीं बदल सकता है कपड़े से। यह कानून के दायरे को नहीं बढ़ा सकता है या

असंदिग्ध। यह किसी क़ानून में शब्दों को जोड़ या घटा नहीं सकता है या उसमें कुछ ऐसा पढ़ें जो वहां नहीं है। यह फिर से नहीं लिख सकता है या

कानून का पुनर्गठन करें। यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि वहाँ

एक धारणा मौजूद है कि विधायिका ने किसी का उपयोग नहीं किया है अनावश्यक शब्द। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि वास्तविक इरादा

कानून को उपयोग की गई भाषा से एकत्र किया जाना चाहिए। यह.

यह सच हो सकता है कि "होगा या हो सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग निर्णायक नहीं है।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या क़ानून निर्देशिका है या नहीं

अनिवार्य है। लेकिन विधायिका की मंशा का पता लगाया जाना चाहिए।

अधिनियम की योजना से। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि

जब नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है तो अदालतें मान लेंगी कि

विधायिका का इरादा था कि प्रावधान अनिवार्य हैं चरित्र में "।

[जोर दिया गया]

77. में प्रयुक्त शब्दों की सरल और सरल व्याख्या से

ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22 ए) में यह पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि विधानमंडल ने प्रावधान किया है कि किसी कंपनी आदि के खिलाफ कार्यवाही को समाप्त करने के उद्देश्यों के लिए, ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22) के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र को न्यायालय की डिक्री या आदेश माना जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक बार वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के बाद

23 (2003) 2 एस. सी. सी. 577 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड v. ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22) के तहत पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22 ए) को ध्यान में रखते हुए, इसे किसी कंपनी की समापन कार्यवाही आदि शुरू करने के उद्देश्यों के लिए न्यायालय का डिक्री या आदेश माना जाएगा। हालाँकि, ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22 ए) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि विधायिका का उद्देश्य कार्यवाही को समाप्त करने के उद्देश्य से सीमित वसूली प्रमाणपत्र के उपयोग को प्रतिबंधित करना है। प्रत्यर्थियों का तर्क, यदि स्वीकार किया जाता है, तो कुछ ऐसा प्रदान करना होगा जो ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22 ए) में नहीं है। 78. किसी भी मामले में, जब विधानमंडल ने स्वयं यह प्रावधान किया है कि ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22) के तहत जारी किया गया कोई भी वसूली प्रमाण पत्र समापन कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यायालय का एक डिक्री या आदेश माना जाएगा, जो कार्यवाही बहुत गंभीर प्रकृति की है, तो यह स्वीकार करना मुश्किल होगा कि विधानमंडल का इरादा था कि इस तरह के वसूली प्रमाण पत्र का उपयोग सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए नहीं किया जा सकता है, जो कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने में सक्षम बनाएगा और साथ ही, लेनदारों के बकाया का अधिकतम भुगतान करेगा। इसलिए, हम उक्त निवेदन में कोई सार नहीं पाते हैं।

79. जहाँ तक परमजीत सिंह पाथेजा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है, हम इसे आवश्यक नहीं पाते हैं -

उसी का उल्लेख करें, क्योंकि जो दृष्टिकोण हमने लिया है, वह आई. बी. सी. के प्रावधानों की व्याख्या करने के बाद लिया गया है, जबकि परमजीत सिंह पाथेजा (ऊपर) के मामले में दृष्टिकोण कानूनी कल्पना के संबंध में है जैसा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 में प्रदान किया गया है।

पर रेम जुडिकटम दो सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात। , ((i) विवादों की अंतिम समाप्ति के लिए न्यायिक निर्णयों की अंतिमता और निर्णायकता। सार्वजनिक नीति के मामले में समुदाय के सामान्य हित में, और (ii) व्यक्ति के हित में कि उसे मुकदमेबाजी के कई गुना बढ़ने से बचाया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त सिद्धांत न केवल सार्वजनिक बल्कि उन मामलों को फिर से खोलने में बाधा डालते हुए एक निजी उद्देश्य की पूर्ति करता है जिन पर निर्णय लिया गया है।

81. नवाब हुसैन (ऊपर) के मामले में, प्रतिवादी एक था

उत्तर प्रदेश में पुलिस उप-निरीक्षक ने पुष्टि की। उन्होंने अपने [2022] 5 एस. सी. आर. को चुनौती दी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में इस आधार पर खारिज किया गया कि उन्हें उचित अवसर नहीं दिया गया था। उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई। उक्त रिट याचिका खारिज होने के बाद, उन्होंने कुछ अतिरिक्त आधारों को उठाते हुए सिविल जज, एटा के न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। उसी को खारिज कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने दूसरी अपील को प्राथमिकता दी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि मुकदमा रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं था। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए और इसे न्यायपालिका द्वारा वर्जित ठहराते हुए उपरोक्त टिप्पणियां की गईं।

82. गुलाबचंद छोटालाल पारिख (उपरोक्त) के मामले में, उसमें अपीलार्थी ने अनिवार्य लिखित आदेश जारी करने के लिए प्रार्थना की थी और

प्रत्यर्थी के खिलाफ निषेध का एक रिट-उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में राज्य। उच्च न्यायालय ने पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बाद योग्यता के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दायर किया और इसी तरह की याचिका दायर की। इस पृष्ठभूमि में, निचली अदालत, प्रथम अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रिट याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए मुकदमे को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अपील में, इस न्यायालय ने समवर्ती विचारों की पुष्टि करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि प्रति न्यायिक के सामान्य सिद्धांतों पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय का निर्णय, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बाद, दोनों के बीच बाद के नियमित मुकदमे में प्रति न्यायिक के रूप में कार्य करेगा।

एक ही मामले के संबंध में पक्षकार।

83. जहाँ तक आज बनाम आज 24 के मामले में निर्णय का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और अन्य 25 के मामले में भी इसी पर विचार किया गया है, जिसमें यह कहा गया है -

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्रवाई का एक कारण उत्पन्न होता है, जहां दो अलग-अलग कार्यवाहियों में, समान मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस स्थिति में, एक ही पक्षकारों के बीच बाद की कार्यवाहियों से उसी तरह निपटा जाएगा जैसे पिछली कार्यवाहियों में किया गया था। ऐसी स्थिति में, धोखाधड़ी और मिलीभगत के आरोप को छोड़कर तय किए गए सभी बिंदुओं के संबंध में प्रतिबंध पूर्ण है। हमारा विचार है कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर दूर से भी लागू नहीं होगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम यह नहीं पाते हैं कि उक्त निर्णय पर भरोसा करने से उत्तरदाताओं के मामले में कोई सहायता होगी।

24 (1964) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 371 25 (2005) 1 एस. सी. सी. 787 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम।

ए. बालकृष्णन और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

84. निष्कर्ष निकालने के लिए, हम मानते हैं कि वसूली प्रमाण पत्र से उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में देयता एक "वित्तीय ऋण" होगी।

आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (8) का अर्थ। नतीजतन, वसूली प्रमाण पत्र का धारक वित्तीय लेनदार होगा आई. बी. सी. की धारा 5 के खंड (7) का अर्थ। इस प्रकार, इस तरह के प्रमाण पत्र का धारक सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार होगा, यदि वसूली प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर शुरू किया जाता है।

85. हम आगे पाते हैं कि देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानूनी रूप से सही है और हम इसकी पुष्टि करते हैं। हम आगे पाते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन उस तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दायर किया गया था जिस दिन वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस प्रकार, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन सीमा के भीतर था और विद्वान एन. सी. एल. ए. टी. ने यह मानते हुए गलती की है कि यह सीमा द्वारा वर्जित है।

86. परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित निर्णय देते हैं:

((i) अपील की अनुमति है।

((ii) विद्वान राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय द्वारा पारित 24 नवंबर, 2020 का विवादित निर्णय और आदेश।

कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) में न्यायाधिकरण, नई दिल्ली

2019 का No.1406 रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है।

87. हम आगे स्पष्ट करते हैं कि हालांकि प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा मामले के गुण-दोष पर विस्तृत तर्क दिए गए हैं, लेकिन हमने इसे नहीं छुआ है। हमने केवल कानूनी मुद्दों पर फैसला किया है। विद्वान एन. सी. एल. टी. के समक्ष मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए पक्षकारों को सभी मुद्दों को उठाने की स्वतंत्रता होगी। विद्वान एन. सी. एल. टी. कानून के अनुसार इसका फैसला करेगा।

88. एकतरफा रोक और मामले के निपटारे के लिए आवेदनों सहित लंबित आवेदनों का उपरोक्त में निपटारा किया जाएगा।

शर्तें। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन (सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)